

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2016/पौष 14, 1937

No. 4]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2016/ PAUSA 14, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2016

सं. 1/2016-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 4(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/2011 सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का. नि. 153(अ), तारीख, 1 मार्च, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 23 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि “5%” के स्थान पर प्रविष्टि “शून्य” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं.332/4/2015-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 27/2011 -सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 153 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 50 /2015-सीमा शुल्क, तारीख 16 अक्टूबर, 2015, द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 788 (अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2016

No.1/2016-Customs

G.S. R. 4 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the Table, against serial number 23, in column (4), for the entry “5%”, the entry “Nil” shall be substituted.

[F. No. 332/4/2015-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note.- The principal notification number 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011 and last amended *vide* notification number 50/2015-Customs, dated the 16th October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 788(E), dated the 16th October, 2015.